सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00135

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 49/2017

1. रामस्वरूप पुत्र श्री भूपराम जाति बिश्नोई निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. मुखराम (मृतक)
   1/1 जीवनी देवी पत्नी मुखराम
   1/2 सुखी देवी पुत्री मुखराम
   1/3 रामलाल पुत्र मुखराम
   1/4 बिन्दो देवी पुत्री मुखराम
   1/5 श्रवण पुत्र मुखराम
   1/6 बिरमादेवी पुत्री मुखराम
   } जातियान बांवरी निवासीयान 81 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसविन्द्र कौर पत्नी श्री निर्मलसिंह जाति जटसिख निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवन्त कौर पत्नी श्री त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. गोपीराम पुत्र मुंशीराम जाति बांवरी निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. भगतसिंह पुत्र साधू सिंह जाति नाई निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. गोविन्दराम पुत्र श्री डूंगरराम जाति नायक निवासी 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. गोपालराम पुत्र श्री डूंगराराम जाति मेघवाल निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. सुखविन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. वचित्र सिंह पुत्र नाब सिंह जाति जटसिख निवासी 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. भादरराम पुत्र लेखूराम जाति बांवरी निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. मीरा पत्नी पूर्णराम जाति बांवरी निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. मीरा पत्नी पेमाराम जाति मेघवाल निवासी 81 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. मनीराम पुत्र बीरबलराम जाति नायक निवासी 82 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदमपुर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–23.11.2020**

प्रस्तुत प्रार्थना का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधी आदेश एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना ना कर पारित किया गया है। हल्का पटवारी दिनांक 06.06. 2017 को विवादित इंतकाल संख्या 381 का दर्ज कर जांच हेतु गिरदावर के प्रस्तुत किया, हल्का गिरदावर द्वारा उसी रोज दिनांक 06.06.2017 को मिलान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी रोज बिना किसी जांच, बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रश्नस्पद इंतकाल दर्ज कर दिया। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना अपीलार्थी को कोई नोटिस अथवा सूचना दिये पारित किया गया है। अपीलार्थी की कृषि भूमि वाके चक 81 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 43 में 6.325 में यदि कोई विपरीत रूप से आदेश पारित किया गया हो तो मौके पर सूचना देकर ही इंतकाल तस्दीक किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा तौर पर एक ही दिन में पूरी कार्यवाही कर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में तस्दीक किया है यद्यपि उपखण्ड अधिकारी का आदेश कानूनन दूषित आदेश है जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.06.2017 को स्थगित कर दिया है जिसमें रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक श्री रामप्रकाश गुप्ता ने केवियटर के रूप में उपस्थित होकर बहस की थी। इस प्रकार अभिभाषक की जानकारी पक्षकार को स्थगन की जानकारी होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में इंतकाल तस्दीक कर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समुचित कानूनी प्रक्रिया की कतई पालना नहीं की। यद्यपि क्रियान्वित किये जाने वाले आदेश पर कोई टिप्पणी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी लेकिन पालना से पूर्व पीड़ित पक्षकार को सूचना अथवा नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था। अपीलाधीन आदेश घर बैठे ही पारित किया गया है। क्रियान्वित आदेश की भौतिक रूप से मौके पर पालना नहीं की गई है केवल पेपर ओडर ही किया गया है मौके पर अपीलार्थी की फसल सावणी काश्त है इसलिए न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित किया जाना न्यायचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश इंतकाल संख्या 381 दिनांक 06.06.2017 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस आदेश की पालना में इंतकाल संख्या 381 दिनांक 06.06.2017 स्वीकृत किया गया था उसको माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.09.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का निर्णय दिनांक 02.06.2017 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 01.08.2017 दोनों विधि के अनुरूप नहीं है इसलिये उक्त दोनों आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण न्यायालय पदमपुर को रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया है कि प्रकरण में निगरानीकार व मुरब्बा नम्बर 48

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के खातेदारों को पक्षकार बनाया जावें और उन्हें विधिवत् सुनवाई का मौका देकर प्रकरण को दो माह में आवश्यक रूप से निर्णत करें। अतः श्रीमान न्यायालय उक्त आदेश की पालना में प्रकरण तहसीलदार पदमपुर को रिमाण्ड करे ताकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में पुनः सुनवाई की जाकर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया जा सकें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.09.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का निर्णय दिनांक 02.06.2017 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 01.08.2017 दोनों विधि के अनुरूप नहीं है इसलिये उक्त दोनों आदेश निरस्त किये जा चुके है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। विवादित इन्तकाल संख्या 381 दिनांक 06.06.2017 जो उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 02.06.2017 की पालना में भरा गया था को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा खारिज किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा भरा गया इन्तकाल संख्या 381 दिनांक 06.06.2017 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 16.09.2020 द्वारा निष्प्रभावी हो गया है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी तहसीलदार पदमपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।